

ट्रांज़िटि अग्रमि ज़मानत

प्रलमिस के लयि:

[प्रथम सूचना रपिरट \(FIR\)](#), [अग्रमि ज़मानत](#), ज़मानत और उसके प्रकार, [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#), 1973, अनुच्छेद 21

मेन्स के लयि:

आपराधिक न्याय प्रक्रिया में मौलिक अधिकारों का संरक्षण, न्यायपालिका, संवैधानिक संरक्षण, ज़मानत के प्रकार

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने [प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, 2023](#) के मामले में नरिणय सुनाया कएक राज्य में एक सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी आरोपी को उस स्थिति में भी [ट्रांज़िटि अग्रमि ज़मानत](#) दे सकता है प्रथम सूचना रपिरट (FIR) उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर दर्ज की गई हो।

- सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में नहिनि नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की संवैधानिक अनिवार्यता पर ज़ोर देता है।

नोट:

- ट्रांज़िटि अग्रमि ज़मानत अभ्युक्तों के लयि गरिफ्तारी से सुरक्षा के रूप में कार्य करती है जब तक कविकथति अपराध के लयि क्षेत्रीय अधिकार वाले न्यायालय में नहीं पहुँच जाते।
 - शब्द "ट्रांज़िटि अग्रमि ज़मानत" को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) या किसी अन्य कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1998 में असम राज्य बनाम बरोजेन गोगोल मामले में ट्रांज़िटि अग्रमि ज़मानत की अवधारणा पेश की।
- इस प्रकार की ज़मानत विशेष रूप से एक अलग राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लयि न्यायसंगत और अंतरिम राहत प्रदान करती है, जिससे उन्हें अग्रमि ज़मानत लेने की अनुमति मिलती है।

ट्रांज़िटि अग्रमि ज़मानत पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय का नयिम है कउच्च न्यायालय/सत्र न्यायालयों को उक्त न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर दर्ज FIR के संबंध में न्याय के हति में [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#), 1973 की धारा 438 के तहत अंतरिम सुरक्षा के रूप में ट्रांज़िटि अग्रमि ज़मानत देनी चाहयि।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कअधिकार क्षेत्र पर पूर्ण वर्जन से, विशेष रूप से गलत, दुर्भावनापूर्ण अथवा राजनीति से प्रेरित अभियोजन का सामना करने वाले वास्तविक (Bona Fide) आवेदकों के लयि अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कआवेदक को अपूरणीय क्षति से बचाने हेतु ट्रांज़िटिअग्रमि ज़मानत "केवल असाधारण तथा बाध्यकारी परिस्थितियों" में ही स्वीकृत की जानी चाहयि।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम सुरक्षा के लयि शर्तें नरिधारित कीं:.
- पहली सुनवाई के दौरान जाँच अधिकारी तथा सरकारी वकील को सूचना देना अनिवार्य है।
- सीमिति राहत देने वाले आदेश में स्पष्ट रूप से उन कारणों को दर्ज किया जाना चाहयि जो बताते हैं कआवेदक अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी की आशंका क्यों रखता है तथा इस तरह की सुरक्षा का चल रही जाँच पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

- आवेदक को FIR पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने में असमर्थता के बारे में न्यायालय को तृप्त करना होगा।
 - तुष्ट/उस क्षेत्राधिकार में **जीवन अथवा दैहिक स्वतंत्रता के लिये खतरे की आशंका**, मनमानी के बारे में चर्चाओं अथवा चकित्सा कारणों पर आधारित हो सकती है जहाँ FIR दर्ज की गई है।
- नरिणय में आरोपी **व्यक्तियों द्वारा अंतरिम सुरक्षा के लिये अनुकूल न्यायालय चुनने** की संभावना को स्वीकार किया गया है।
 - इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये न्यायालय अभ्युक्त तथा न्यायालय की अधिकारिता के बीच **राज्यक्षेत्र संबंध** के महत्त्व पर प्रकाश डालती है।

जमानत क्या है तथा इसके प्रकार क्या हैं?

■ परिभाषा:

- जमानत कानूनी हरिसत में रखे गए व्यक्तिको, जब भी आवश्यक हो न्यायालय में उपस्थित होने के वादे के साथ, **सशर्त/अनंतमि रहिई** है (ऐसे मामलों जिनमें न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाना बाकी है)।
- यह न्यायालय में प्रतभूत/सांपाश्वक जमा के रूप में रखने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- वधिकि मामलों के अधीक्षक और परामर्शी बनाम अमयि कुमार रॉय चौधरी (1973) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत स्वीकृत करने के सिद्धांत की व्याख्या की है।

■ भारत में जमानत के प्रकार:

- नयिमति जमानत:
 - यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा दिया गया एक नरिदेश है जो पहले से ही गरिफ्तार और पुलिस हरिसत में रखे गए व्यक्तिको रहि करने हेतु उपलब्ध है।
 - ऐसी जमानत के लिये कोई व्यक्ति **अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973** की धारा 437 और 439 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।
- अंतरमि जमानत:
 - न्यायालय द्वारा **अस्थायी और अल्प अवधि** हेतु जमानत दी जाती है, यह जमानत तब तक दी जा सकती है, जब तक कि नयिमति या अग्रमि जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं होता है।
- अग्रमि जमानत या पूर्व-गरिफ्तारी जमानत:
 - यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्तिको गरिफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में पूर्व-गरिफ्तारी जमानत का प्रावधान **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438** में किया गया है।
 - इसे केवल **सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय** द्वारा दिया जाता है।
 - अग्रमि जमानत का प्रावधान **वविकाधीन** है तथा न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर वचिर करने के बाद जमानत दे सकता है।
 - न्यायालय जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकता है, जसिमें पासपोर्ट ज़ब्त करना, देश छोड़ने पर प्रतबिंध या पुलिस स्टेशन में नयिमति रूप से रपिरट करना आदि शामिल हैं।
- वैधानकि जमानत:
 - वैधानकि जमानत, जसि **डफिल्ट जमानत** के रूप में भी जाना जाता है, **CrPC की धारा 437, 438 और 439 के तहत सामान्य प्रक्रिया** में प्राप्त जमानत से अलग है।
 - जैसा कि नाम से पता चलता है, वैधानकि जमानत तब दी जाती है जब पुलिस या जाँच एजेंसी एक नश्चिति समय-सीमा के भीतर अपनी रपिरट/शकियात दर्ज करने में वफिल रहती है।
 - यह CrPC की धारा 167(2) में नहिती है।

वधिकि दृष्टिकोण: **अभविहन अग्रमि जमानत**

<https://www.drishti judiciary.com/hin>